Mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./के.एस.इंट./607/ 1502   भोपाल,दिनांक 8/07/2021

प्रति,

मेसर्स के0एस0 इंटरप्राइजेस
गांधीगंज छिन्दवाड़ा
जिला छिन्दवाड़ा म0प्र0

विषयः- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) 2009 के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भः- मण्डी बोर्ड का पत्र क्रमांक/बी-6/नि0/वि.अनु./के.एस.इंट./607/3110 दि. 30.12.19

--00--

सन्दर्भित आदेश से मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32-क के अधीन म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 की शर्त क्रमांक 10(1) एवं 10(2) के तहत विशेष अनुज्ञप्ति मेसर्स के0एस0 इंटरप्राइजेस, छिन्दवाड़ा को दिनांक 30.12.2019 से एक वर्ष की अवधि के लिये अनन्तिम रूप से अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई थी।

अतः मेसर्स के0एस0 इंटरप्राइजेस, छिन्दवाड़ा के द्वारा स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति मे 04 वर्ष की वृद्धि हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध मे संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय जबलपुर के द्वारा सचिव कृषि उपज मण्डी समिति छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक/मंडी/लायसेंस /2021-22/287 दिनांक 08.06.2021 से म.प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 की शर्त क्रमांक 10(1) एवं 10(2) की पूर्ति संबंधित फर्म के द्वारा किया जाना अवगत कराया गया है।

मेसर्स के0एस0 इंटरप्राइजेस, छिन्दवाड़ा के द्वारा आवेदन मे उल्लेखित 01 विनिर्दिष्ट मंडी समिति छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मे 01 क्रय केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु संशोधित नियम 6 के अधीन राशि रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) एचडीएफसी बैंक, छिन्दवाड़ा जो कि प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम से प्रस्तुत की गई है, जिसकी अवसान तिथि 01 अक्टूबर 2024 तक है।

अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32-क के अधीन म0 प्र0 कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 के नियम 10(1) एवं 10(2) के अनुसार मेसर्स के0एस0 इंटरप्राइजेस, छिन्दवाड़ा को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए, की अवधि मे आगामी 04 वर्ष की वृद्धि की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप-3 परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./के.एस.इंट./607/1503

भोपाल,दिनांक9/07/2021

प्रतिलिपिः-

(1) संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/ इंदौर/उज्जैन/ जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं नियम 12 के अधीन उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति "अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए अंतिम स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.................................. जिला............................... म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 के नियम 4, 8, 10 एवं 12 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए अंतिम स्वीकृत की गई है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। प्रथमतः अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य है कि वह विनिर्दिष्ट मंडी प्रांगण एवं क्रय केन्द्र मे सुविधा स्थापित करे।

3. चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृषि उपज मण्डी समिति छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स के0एस0 इंटरप्राइजेस, गांधीगंज छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट – "ब"

प्ररूप–तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति कमांक/एस.एल./2021/06 दिनांक 09/07/2021

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स के0एस0 **इंटरप्राइजेस**, गांधीगंज छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को अधिनियम की धारा 32–क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु **दिनाँक 08/07/2021 से दिनांक 07/07/2025 तक** विशेष अनुज्ञप्ति अंतिम रूप से दी जाती है।

अनु.क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम		कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	धान्य तथा दलहन	छिन्दवाड़ा	कृषि उपज मंडी समिति छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सलोनी धर्म कांटे के पास, सिवनी रोड, कुंडीपुरा थाने के आगे छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा	श्री आदित्य अग्रवाल मो0नं0–94067959254	

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त कय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा कय

अनु0क0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए}
(1)	(2)	(3)
1	धान्य तथा दलहन	2,000 मे0टन

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विनिर्दिष्ट कय केन्द्रों पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:–

(एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज

(दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था

(तीन) प्रकाश की समुचित व्यवस्था

(चार) पुरूष तथा महिलाओं के लिये शौचालय की प्रसुविधा

(पांच) शेड की व्यवस्था

(छ) किसानों के लिये छायादार विश्राम स्थल

(सात) भुगतान काउन्टर

(आठ) ट्रेक्टर ट्राली आदि की पार्किंग की व्यवस्था

(नौ) नमी, कचरा तथा क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति,

(दस) प्रवेश, विकय–कय, भुगतान तथा तौल काउन्टरो/क्षेत्रों पर सी.सी.टी.व्ही कैमरे सीापित करना.

(ग्यारह) कय–विकय लेखा की मैनुअल के साथ ही डिजिटल बैकअप प्रणाली संधारित रखना.

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले मे –

(एक) इलक्ट्रानिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म,

(दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा

(तीन) सुपुर्दगी केन्द्र

विनिर्दिष्ट कय केन्द्रो मे से किसी कय केन्द्रो मे प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओ को सृजित करने मे असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दी गई अनन्तिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे कय केन्द्र के लिये आगामी वर्षो के लिये नियमित नही किया जायेगा।

4. यह विशेष अनुज्ञप्ति दिनांक 08/07/2021 से दिनांक 07/07/2025 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5. यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी :–

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपवंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना–पत्र के अनुसार समय–सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिकमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय–सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉ प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में कय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता :

कार्यालय की मोहर :

(मोहर: मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल)

अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

कार्यालय

अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल (म.प्र.)